उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 291 /43-बा.वि./2002
देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है;

अत: अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेंगा :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना :- उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 में जहां-जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के भाग-1 नियम-3 के खण्ड (क) में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य निदेशक, समेकित बाल विकास सेवा, उत्तरांचल से होगा।

4. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24 में पद व वेतनमान परिशिष्ठ में निम्नानुसार पढे जायेंगे:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	मुख्य सेविका	233	रू0 4500-7000
2.	अन्वेषक/संगणक	7	रू0 4000-6000
3.	सांख्यकीय सहायक	7	रू0 5000-8000
4.	लेखाकार	1	रू0 5000-8000
5.	लेखालिपिक	1	रू0 4000-6000

5. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के भाग-3 में नियम-5 के उपनियम (8) निम्नवत पढ़ा जायेगा :-

सांख्यकीय सहायक के 7 पदों में से 3 पदों पर मौलिक [illegible]

ऐसे अन्वेषक/संगणक जिन्होनें भर्ती के प्रथम दिवस को इस पद पर सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा 4 पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं साक्षात्कार के आधार पर जिन्होंने गणित या सांख्यिकीय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो तथा वे कम्पयूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (एम.एस. वर्ड, एम.एस. एक्सल, एम.एस. पावर-पोइन्ट, इन्टरनेट आदि) रखते हों, से भरे जायेंगे।

6. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के भाग-3 में नियम-5(9) एवं भाग-4 में नियम-8(8) में अन्वेषक/संगणक के पद हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, जिन्होंने गणित या सांख्यिकीय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो तथा वे कम्पयूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (एम.एस. वर्ड, एम.एस. एक्सल, एम.एस. पावर-पोइन्ट, इन्टरनेट आदि) रखते हो, सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

7. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के भाग-3 में नियम-5 के उपनियम-4(1) 50 प्रतिशत, महिला अभ्यर्थियों में से जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक हो, प्रतियोगिता परीक्षा और चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी।

8. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 में नियम-10 में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष को पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जायें।

9. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के भाग-3 में नियम-5 के उप नियम-4(2) में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों (जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी) की मुख्य सेविका के पदों पर तैनाती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिन्होनें 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक के संयुक्त मेरिट पर बनी सूची से साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से भरी जायेंगी।

10. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के भाग-3, नियम-5 के उपनियम-12 में सहायक लेखाकार (मुख्यालय) के स्थान पर लेखाकार पढ़ा जायेगा तथा लेखाकार एवं लेखा लिपिक के पदों हेतु कम्पयूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (विशेषकर वित्तीय प्रबन्ध से संबंधित सोफ्टवेयर की जानकारी) अनिवार्य होगी। लेखाकार एवं लेखा लिपिक के पदों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा एवं चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जायेगी। शेष शैक्षिक योग्यतायें पूर्ववत रहेंगी।

11. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के नियम-26 अपसारित समझे जायें।

<u>टिप्पणी :-</u> संबंधित समान वेतनमान के सभी पदों पर (निदेशालय एवं जिला स्तर के पदों को मिलाकर) किसी भी कार्मिक की आई.सी.डी.एस. विभाग में कहीं भी तैनाती की जा सकती है। कोई पद विशेष, पदोन्नति अथवा ज्येष्ठता पर आधारित नहीं है।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार जैन)
सचिव

<u>संख्या :</u> (1)/43-बा.वि./2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन।
4. निदेशक, आई.सी.डी.एस., उत्तरांचल।
5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेपित कि कृपया उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव